फर्द अहकाम

जगदीश सिंह बनाम महेश

यालय : सहायक कलक्टर, बस्सी

द/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर : प्रार्थना पत्र 33/2021

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
18.03.25	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थी सं0 7 के अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थी सं0 1 लगायत 6 व 8 लगायत 16 के विरूद्ध मूलवाद में सम्यक तामील मानी जाकर अप्रार्थी सं0 1 लगायत 6 व 8 लगायत 16 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है। उभयपक्ष अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पर बहस करने हेतु निवेदन किया। उभयपक्ष अधिवक्ता की अस्थायी निषेधाज्ञा पर बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन करने एवं उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस जाहिर तथ्यों पर मनन करने के उपरान्त न्यायहित को ध्यान में रखते हुऐ वादग्रस्त आराजी ख0नं0 1019 रकबा 0.2400 है0, वं ख0नं0 1018 रकबा 0.18 है0 ग्राम तूंगा पटवार हल्का तूंगा भू0अ0नि0 तूंगा तह0 तूंगा जिला जयपुर के संबंध में उभयपक्षों को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि उभयपक्ष उक्त वादग्रस्त आराजी पर मूलवाद 44/2021 उनवान जगदीश सिंह बनाम महेश के निर्णय तक मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर होकर नम्बर से कम हो। सहायक कलक्टर बस्सी, जिला जयपुर	